(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1497–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील चीनोर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 04/14–15/अ–70

.....

तितुरिया पुत्र स्व.श्री सटोलेराम कुशवाह,
निवासी ग्राम चीनोर तहसील चीनोर,
जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

अरूण राजपूत पुत्र श्री केदारसिंह
निवासी गढी खेरी चीनोर तहसील चीनोर
जिला ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक–आवेदक
श्री व्ही.के.योगी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील चीनोर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चीनोर स्थित सर्वे नम्बर 854, 855, 856 व 864 भूमि पर आवेदक द्वारा एस0एल0आर0 के

सीमांकन पश्चात् कब्जा कर लिया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 04/14–15/अ–70 दर्ज कर दिनांक 7–1–2016 का आदेश पारित कर अनावेदक को कब्जा दिलाया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक ने विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने का आवेदन दिया था तथा सीमांकन में कितनी भूमि निकली थी तथा कितनी भूमि पर अतिकमण है इस बावत् आवेदन में कोई उल्लेख नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक का आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत भी माने तो प्रकरण में कार्यवाही संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के अनुसार करना चाहिये थी । आवेदक ने अनावेदक की भूमि पर कतई अवैध कब्जा नहीं किया गया है आवेदक अपनी भूमि पर काबिज है । अनावेदक सीमांकन की आढ में आवेदक के सर्वे नम्बर 849 व 857 की भूमि पर कब्जा करना चाहता है । मौके पर न तो मुडिया गाडी गई थी और ना ही आवेदक द्वारा उखाडी गई है, पूर्व समय से जो मेड़ कायम थी वही मेड आज भी मौके पर है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि एस0एल0आर/पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मुडिया उखाडी गई है, इसलिये अनावेदक को कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेशार्थ प्रकरण प्रस्तुत होने पर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि वैधानिक दृष्टि से पूर्णतः अनुचित कार्यवाही है । आदेशिका दिनांक 7–1–2016 में आदेश पृथक से पारित किये जाने का उल्लेख है

और कन्ट्यूनेशन में नोटशीट पर ही अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, यह उचित कार्यवाही नहीं है, इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये पुनः आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील चीनोर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर